रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75] नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 1984/ज्येष्ठ 14, 1906
No. 75] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 1984/JYAISTHA 14, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं०: 30-आईटीसी (पीएन 84-ईपीसी)

नई दिल्ली, 4 जून, 1984

विषय: अप्रैल 1984-मार्च 1985 के लिए आयात और निर्यात नीति

मि० सं० 12/28/84-ईपीसी:—यथासंशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 18-आईटीसी (पीएन) 84, दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल 1984-मार्च 1985 के लिए आयात और निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन आयात-निर्यात नीति में नीचे लिखित उचित स्थानों पर किए गए समझे जाएंगे:—

क्रम सं०	1984-85 के लिए आयात-निर्यात नीति (जिल्द-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	257	परिशिष्ट-17 ————— उत्पाद वर्ग ण बने बनाए वस्त्र, होजरी, बुने हुए वस्त्र कालम-5 ————— सामान्य नोट (2)	वर्तमान नोट के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:— "जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, उनके लिए निर्धारित अन्य दस्तावेजों के अलावा आयात लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों के साथ वस्त्र समिति सीमाशुल्क (या प्राकृतिक सिल्क की पोशाकों, होजरी और बुनी हुई पोशाकों के मामले में केन्द्रीय सिल्क बोर्ड) द्वारा जारी की गई टेस्ट रिपोर्ट और हस्तशिल्पों के लिए विकास आयुक्त की टेस्ट रिपोर्ट होगी (इस प्रकार की रिपोर्टों की आवश्यकता (1) सूती पोशाकों और होजरी के निर्यात और (2) विदेशी पर्यटकों को बेचने के संबंध में नहीं होगी), विदेशी पर्यटकों को बिक्री के मामले में आर ई पी लाइसेंसों के

(1)	(2)	(3)	(4)
			लिए आवेदन-पत्र में आवेदक का इस संबंध में एक घोषणा-पत्र होना कि निर्यातित उत्पाद में खादी-बर यार्न की कितनी मात्रा का उपयोग हुआ है ।

3. इस सार्वजनिक सूचना में किया गया संशोधन 1 जून, 1984 को या उसके बाद किए गए निर्यातों के संबंध में लागू होगा ।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 30-ITC (PN)/84

New Delhi, the 4th June, 1984

Subject: Import and Export Policy for April 1984-March 1985.

F. No. 12/28/84-EPC:—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1984-March 1985, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 18-ITC(PN)/84 dated the 12th April, 1984, as amended :

2. The following amendment shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below:

S.No.	Page No. of Import & Export Policy, 1984-85 (Vol. I)	Reference	Amendment
1	2	3	4
1.	257	Appendix 17 Product Group O.	The following shall be substituted for the existing note :—
		Readymade Garments, Hosiery, Knitwear. Column 5 General Note 2	"Applications for import licences shall be accompanied by a test report issued by the Textile Committee/ Customs (or Central Silk Board in the case of Natural Silk garments, hosiery and knitwear), and Development Commissioner for Handicrafts, wherever necessary in addition to other prescribed documents. (Such certificate will not be required in respect of (i) export of cotton garments and hosiery and (ii) sales to foreign tourists.) in the case of sales to foreign tourists, the application for REP licence should be accompanied by a declaration of the applicant as to the contents of fibre/yarn used in the product exported."

3. The amendment in this Public Notice will be effective in respect of exports made on or after 1st June, 1984.

P.C. Jain, Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1984